



फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा
कमलेश आदि बनाम राजेन्द्र कुमार आदि

किस्म मुकदमा धारा 88 आरटीएक्ट नं० 212/03.12.2021 सन 2021

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
<p>2-2021</p> <p>15/12/21</p> <p>21/3/22</p> <p>04/05/22</p>	<p>आज यह प्रकरण जरिये वकील वादीयान की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.12.2021 को पेश हो।</p>  <p>पत्रावली प्रशासन गांव के मांग अभियान-2021 कैम्प स्थल में पेश हुई। पत्रावली दिनांक 21/3/22 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बादले तलबी पत्रावली 05/14/22 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी का आपसी सहमति से समझौता होने के कारण उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वादी नया दावा पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। पत्रावली विद्रो/खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर है कम की जाकर कार्यालय दफ्तर हो।</p>  <p>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)</p>	<p>विद्रो करना चाहते हैं।</p> <p>21/3/22</p>